XIV-Form No. 563

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

07.02.2012

न्यायालय, समाहर्त्ता पूर्णियाँ

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–87/2009

1. मो0 नसीम अख्तर, पिता–मो0 कासीम
2. बीबी शाहिन बानो उर्फ रूबी, पति–मो0 नसीम अख्तर
   सा0–चकपरोरा, थाना–के0नगर, जिला–पूर्णियाँ

——आवेदक

बनाम

1. मो0 जावेद आलम
2. मो0 परवेज आलम

दोनों के पिता–मो0 नूर आलम

सा0–गणेशपुर टोला, चकपरोरा, थाना–के0नगर, जिला–पूर्णियाँ

——विपक्षी सं0–1

3. मो0 अख्तारूल इस्लाम, पिता–स्व0 शेख मो0 रफीक आलम
4. आलम आरा खान, पिता–स्व0 शेख मो0 रफीक
5. मो0 नूर आलम, पिता–स्व0 शेख मो0 तौफीक
6. *मो0 सरफराज आलम, पिता–स्व0 शेख मो0 तौफीक*
   सा0–परोरा, थाना–के0नगर, जिला–पूर्णियाँ
7. मो0 जमाल उर्फ बिट्टो, पिता–स्व0 अली मोहम्मद
8. मो0 कैयुम, पिता–मो0 सिराज
   सा0–बनभाग, थाना–के0नगर, जिला–पूर्णियाँ

——विपक्षी सं0–2

9. राज्य

——विपक्षी सं0–3

आ दे श

आवेदक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर द्वारा जमाबंदी सुधार वाद सं0 3/2005–06 में दिनांक–24.09.2009 को पारित आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया है। निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0 22/2005–06 एवं जमाबंदी सुधार वाद सं0 3/2005–06 की सुनवाई एक साथ कर एक ही साथ आदेश पारित किया गया। क्योंकि दोनों वाद के पक्षकार एवं प्रश्नगत जमीन एक ही है। आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय से अभिलेख मंगवाकर वाद की सुनवाई करते हुए निम्न न्यायालयं द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षीगण का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रांरभ किया गया यह वाद किसी भी दृष्टिकोण से निर्वहन योग्य नहीं है। इस न्यायालय द्वारा राजस्व पुनरीक्षण वाद सं0 45/06 एवं 46/2006 में पारित आदेश के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर द्वारा स्थल जांच कर पारित किया गया आदेश विधि सम्मत हैं। प्रश्नगत जमीन के खतियान के अनुसार शेख तौफीक एवं शेख मो0 रफीक आलम दोनों के पिता शेख मो0 हनीफ, दोनों भाई का बराबर का हिस्सा है। खाता नं0 144, खेसरा नं0 853, रकवा 20 डि0, खेसरा नं0 876, रकवा 31 डि0 एवं खेसरा नं0 44, रकवा 16 डि0, कुल रकवा 67 डि0 में दोनों भाई का 33½ डि0 प्रत्येक को हिस्सा में प्राप्त था। शेख मो0 तौफीक खेसरा नं0 44, रकवा 16 डि0

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	मो0 नूर आलम एवं मो0 सरफराज आलम दोनों के पिता शेख तौफीक को निबंधित हिब्बानामा दिनांक–25.03.1972 को कर दिया। मो0 नुर आलम अपने पिता द्वारा प्राप्त हिब्बानामा के आधार पर अंचलाधिकारी, के0नगर को नामांतरण हेतु आवेदन दिया। लेकिन शेख तौफीक ने आपत्ति आवेदन दिया कि उपरोक्त 16 डि0 जमीन शेख तौफीक एवं रफीक आलम के नाम से है। अतः मात्र 08 डि0 जमीन का हिब्बानामा वैध मानते हुए नामांतरण किया गया। शेख तौफीक द्वारा 16 डि0 का हिब्बानामा कर देने के बाद मात्र 17½ डि0 का हक खेसरा नं0 853 एवं 876 में प्राप्त था। किन्तु शेख तौफीक ने विवादित जमीन का कुल रकवा 51 डि0 जमीन अपने भाई रफीक आलम को बताए बगैर आवेदक के पास बेच दिया। आवेदक नसीम अख्तर खरीदी गई जमीन का नामांतरण अपने नाम करवा लिया। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत जमीन दो भाई शेख तौफीक एवं शेख रफीक आलम के नाम से था, लेकिन आवेदक ने नामान्तरण वाद में रफीक आलम को पक्षकार नहीं बनाया और न ही अंचल कार्यालय ने रफीक आलम को कोई सूचना दी। ऐसी स्थिति में उक्त नामांतरण आदेश मो0 रफीक आलम या उनके उत्तराधिकारियों के लिए बंधनकारी नहीं था। आवेदक ने प्रश्नगत जमीन दिनांक–27.04.1978 को खरीदा लेकिन वर्ष 1990 ई0 तक नामांतरण नहीं करवाया। मो0 नसीम अख्तर एवं बीबी सहित बानो आवेदकगण द्वारा पारित निबंधित केवाला से विपक्षी बंधित नहीं है। विवादित जमीन के स्वत्व पर आवेदक द्वारा सक्षम न्यायालय में किसी प्रकार का स्वत्व वाद दायर नहीं किया गया है। अतः विपक्षीगण इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि आवेदक द्वारा प्रारंभ किए गए इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय। पूर्व निर्धारित तिथ दिनांक 27.01.2012 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक का कथन है कि विपक्षी के द्वारा गलत ढ़ंग से केवाला बनाकर दाखिल–खारिज हेतु आवेदन दायर किया गया। परन्तु उक्त जमीन में जमाबन्दीदार होने के बाबजूद भी आवेदक को पक्ष नहीं बनाया गया। निम्न न्यायालय में इसके विरूद्ध दायर वाद को विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सदर के द्वारा विपक्षी द्वारा दायर एक जमाबन्दी वाद के साथ गलत ढ़ंग से जोड़कर आदेश पारित कर दिया गया। यह आदेश गलत है। इसके विरूद्ध समाहर्त्ता के न्यायालय में पुनरीक्षण दायर किया गया। इस वाद में विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता को स्थल जाँच कराकर आदेश पारित करने का निदेश हुआ। परन्तु विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के द्वारा बिना किसी से जाँच किये वे खूद जाँच कर आदेश पारित किया गया, जो गलत है। साथ–साथ निम्न न्यायालय द्वारा केवाला की सत्यता के संबंध में भी आदेश हुआ है, जो निम्न न्यायालय के क्षेत्राधीन नहीं है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस न्यायालय में पारित आदेश के आलोक में विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के द्वारा पूर्ण जाँच किया गया एवं उनका दखल–कब्जा पाया गया। इस कारण से उनके पक्ष में आदेश पारित किया गया, जो न्यास संगत है। उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा उभय पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। समाहर्त्ता, पूर्णियाँ समाहर्त्ता, पूर्णियाँ	